


13.03.24 पत्रावली पेश। वकील वारी या वारी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज  
लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः  
वारी का यह वाद पत्रा अहम पैरवी-  
अहम दालिरी में इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली बाद तर्कीव  
लकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(मनो ज कुमल शीवा)  
R.A.S.

